

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

समोक उर्फ समोकी पुत्री धन्ना बलाई पत्नी महावीर बलाई निवासी कलिंजरी तहसील शाहपुरा
हाल सांगानेर जिला भीलवाड़ा

— वादिया

बनाम

- 1- लादू पिता धन्ना बलाई निवासी कलिंजरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- मु. काली पिता धन्ना बलाई निवासी कलिंजरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- मु. ललता पुत्री धन्ना बलाई निवासी कलिंजरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- भुवाना पुत्र जुवारा बलाई निवासी कलिंजरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- मु. रूकमा पुत्री जुवारा बलाई निवासी कलिंजरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा पत्नी
रामधन बलाई निवासी पारोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
- 6- मु. राधा पुत्री जुवारा बलाई निवासी कलिंजरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा पत्नी
मांगीलाल बलाई निवासी बिशनियां तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 7- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात, कब्जेयाबी व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 03/2018 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी
जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 07 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा